

हरियाणा पुलिस प्रदर्शनकारी किसानों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाएगी

चर्चा में क्यों?

अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे किसानों के साथ गतरिध के बीच अंबाला ज़िले में हरियाणा पुलिस के अनुसार नरिध प्रदर्शन के दौरान सरकारी और नज़ी संपत्तको ह्य कसिी भी नुकसान की भरपाई प्रदर्शनकारियों की संपत्तकुरक करके तथा बैंक खाते ज़ब्त करके की जाएगी ।

मुख्य बदि:

- दल्लि कूच को लेकर कसिीनों द्वारा शंभू बॉर्डर पर लगाए गए बैरकिड को तोडने की लगातार कसिान संगठनों द्वारा कोशशि की जा रही है और रोज़ाना पुलिस प्रशासन पर पथराव कर अशांति फैलाकर कानून व्यवस्था को खराब करने की कोशशि की जा रही है ।
- यदि आंदोलन के दौरान आंदोलनकारियों द्वारा सार्वजनिक संपत्तको नुकसान पहुँचाया जाता है, तो [लोक संपत्त नुकसान नविरण अधनियम, 1984 \(PDPP अधनियम\)](#) में संशोधन कया गया है ।
- सर्वोच्च न्यायालय के प्रावधानों के तहत, आंदोलन के दौरान सार्वजनिक संपत्तको नुकसान पहुँचाने वाले या आंदोलन का आह्वान करने वाले लोगों और उस संगठन के पदाधिकारियों को कसिी भी नुकसान के लये ज़मिेदार ठहराया जाता है ।
- हरियाणा लोक प्रशासन संपत्त विसूली अधनियम, 2021 के अनुसार, सरकारी संपत्तको नुकसान पहुँचाने की स्थिति में, नुकसान पहुँचाने वाले व्यकत की संपत्त कुरक करके और बैंक खाते ज़ब्त करके सार्वजनिक संपत्त के नुकसान की भरपाई करने का प्रावधान है ।
- पुलसि ने कसिान नेताओं के खिलाफ [राष्ट्रीय सुरक्षा अधनियम \(NSA\), 1980](#) की कार्रवाई की है ।

लोक संपत्त नुकसान नविरण अधनियम, 1984

- इस अधनियम के अनुसार, अगर कोई व्यकत कसिी भी सार्वजनिक संपत्तको दुरभावनापूरण कृत्य द्वारा नुकसान पहुँचाता है तो उसे पाँच साल तक की जेल अथवा जुरमाना या दोनों सज़ा से दंडति कया जा सकता है । इस कानून के प्रावधानों को भारतीय दंड संहति (IPC) के प्रावधानों के साथ जोड़ा जा सकता है ।
- इस अधनियम के अनुसार लोक संपत्तियों में नमिनलखिति को शामिल कया गया है- कोई ऐसा भवन या संपत्त जिसका प्रयोग जल, प्रकाश, शकतिया उरजा के उत्पादन और वतिरण में कया जाता है, तेल संबंधी प्रतषिठान, खान या कारखाना, सीवेज संबंधी कारयस्थल, लोक परविहन या दूर-संचार का कोई साधन या इस संबंध में उपयोग कया जाने वाला कोई भवन, प्रतषिठान तथा संपत्त आदि ।

हरियाणा लोक प्रशासन संपत्त विसूली अधनियम, 2021

- वधियक में दंगों और हसिक अव्यवस्था सहतिवैध या गैरकानूनी, कसिी सभा द्वारा सार्वजनिक व्यवस्था में गडबडी के दौरान व्यकतियों द्वारा की गई संपत्तियों के नुकसान की वसूली का प्रावधान है ।
- यह पीडितों को मुआवज़ा भी सुनशिचति करता है ।
- वसूली न केवल हसिा में शामिल लोगों से की जाएगी, बलक वरिध प्रदर्शन का नेतृत्व करने वालों, आयोजकों, इसकी योजना में शामिल लोगों और प्रोत्साहन प्रदान करने वालों तथा प्रतभागियों से भी की जाएगी ।
- दायतिव नरिधारति करने, कषतिका आकलन करने और मुआवज़ा देने के लये दावा न्यायाधिकरण के गठन का प्रावधान है ।

राष्ट्रीय सुरक्षा अधनियम, 1980

- NSA सार्वजनिक व्यवस्था और राष्ट्रीय सुरक्षा को बनाए रखने के लये वर्ष 1980 में बनाया गया एक नविरक नरिध कानून है ।
- नविरक नरिध कानून भवषिय में कसिी व्यकतको अपराध करने से रोकने और/या भवषिय में अभयोजन से बचने के लये उसे हरिसत में लेना है ।
- संवधान का अनुच्छेद 22 (3) (b) राज्य को सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के कारणों से नविरक नरिध तथा व्यकतगित स्वतंत्रता पर प्रतबिध की अनुमति देता है ।
- अनुच्छेद 22(4) में कहा गया है कि नविरक नज़रबंदी का प्रावधान करने वाला कोई भी कानून कसिी व्यकतको तीन महीने से अधिक की अवधि के लये हरिसत में रखने का अधिकार नहीं देगा ।
- यह अधनियम एक राष्ट्रीय सुरक्षा परषिद के गठन का भी प्रावधान करता है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधति मामलों पर प्रधानमंत्री को सलाह

देती है।

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/haryana-cops-to-impose-national-security-act-against-protesting-farmers>

